

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 131/2019 अपील (GCMS/2019/00155)
पंजीयन दिनांक - 27.11.2019
निर्णय दिनांक - 19.01.2021

1. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि श्री रामसिंह जाति कड़ेचा राजपूत, निवासी धानीन, तहसील गढ़बोर जिला राजसमन्द।

-अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गढ़बोर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहस:-

1. श्री कमलेश चौहान - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय परोकार - वकील प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या-58/2019, में श्रीमती पुष्पादेवी बनाम तहसीलदार, गढ़बोर में न्यायालय अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2019 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 19.01.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या-58/2019, में श्रीमती पुष्पादेवी बनाम तहसीलदार, गढ़बोर में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2019 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम धानीन पटवार हल्का गढ़बोर तहसील गढ़बोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या-101 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि किस्म बिलानाम स्थित है, जिसमें से 3 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार, गढ़बोर में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार, गढ़बोर द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रमी-अपीलार्थी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रमी

मानते हुए लगान का 50 गुना शास्ति रूपये 150/- आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 28.11.2017 को पारित किया।

- तहसीलदार, गढ़बोर के निर्णय दिनांक 28.11.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 27.09.2019 को पारित किया।

अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2017 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 26.11.2019 को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दिनांक 27.11.2019 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से अभिलेख मंगवाये गये। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 12.01.2021 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि तहसीलदार, गढ़बोर समक्ष पटवारी हल्का गढ़बोर ने राजस्व ग्राम धानीन की आराजी संख्या-101 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वार्सी में से 3 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताते हुए धारा-91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार, गढ़बोर के यहा रिपोर्ट पेश थी, जिस पर तहसीलदार ने अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसमें अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली के आदेश उसकी अनुपस्थिति में पारित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द समक्ष प्रस्तुत अपील भी खारिज की गई जो विधि विरुद्ध है क्योंकि अपीलार्थी ने उक्त भूमि जो कि किस्म बिलानाम पड़त थी, उस पर काफी मेहनत कर भूमि को विकसित कर काश्त योग्य बनाया और काफी मेहनत कर लागत लगाकर इस भूमि को फसल उगाने जैसी विकसित की। उक्त भूमि के चारों तरफ पत्थर की दीवार अपीलार्थी द्वारा बनायी गई तथा सन् 1995 से इस जमीन पर अपीलार्थी का नियमित कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। इससे पूर्व अपीलार्थी के भाई व पिता का कब्जा आधिपत्य पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है। अपीलार्थी को अपनी ओर से साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त एव उचित अवसर नहीं मिला। प्रथम पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुआ लेकिन साक्ष्य हेतु अवसर नहीं दिया जाकर सीधा निर्णय पारित कर दिया। अपीलार्थी उक्त भूमि पर आंवटन/नियमन कराने की पात्रता रखता है। धारा-91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है, अपीलार्थी का वर्षों से कब्जा आधिपत्य होने से धारा-91 की कार्यवाही के जरिये बेदखल नहीं किया जा सकता। तहसीलदार का निर्णय छपे हुए प्रोफोर्मा में है जो यह

प्रमाणित करता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवके का उपयोग नहीं किया है। उक्त भूमि अपीलार्थी अपने नाम पर नियमन का अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र क्रमांक प-6(7)राज-4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में सिवायचक भूमियों पर दिनांक 15.07.1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की दिनांक 15.07.1994 से बढ़ाकर दिनांक 01.01.2000 तक कर दिया गया है, इसके उपरान्त सन् 2000 से उक्त अवधि बढ़ाकर 2016 प्रशासन गावों के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है। अपीलार्थी का कब्जा 1985 से भी पूर्व का है और अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि अपीलार्थी को नियमन/आवंटित करने के सम्बन्ध में भी अनापत्ति जारी की है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का मनन/विचार नहीं किया है। अन्त में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गढ़बोर एवं अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 एवं 27.09.2019 को अपास्त फरमाये जाने का निवेदन किया और भूमि के अपीलार्थी के नाम पर आवंटित/नियमन करने के आदेश फरमाये जाने का भी अनुरोध किया।

राजकीय पेटोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द का आदेश विधि सम्मत होने एवं सभी तथ्यों के परीक्षण व विश्लेषण उपरान्त पारित किये जाने का कथन कर अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम धानीन पटवार हल्का गढ़बोर तहसील गढ़बोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या-101 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि किस्म बिलानाम स्थित है, जिसमें से 3 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार, गढ़बोर में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार, गढ़बोर द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रमी-अपीलार्थी को बेदखल रने एवं भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए लगान का 50 गुना शास्ति रूपये 150/- आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 28.11.2017 को पारित किया। अपीलार्थी को दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अतिक्रमी के विरुद्ध जो निर्णय एवं कार्यवाही की गई है, वह उचित है। पारित दोनों निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजकीय भूमि होकर बिलानाम भूमि है। अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार, गढ़बोर ने धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 21.12.2018 से अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर, बेदखली, कायमी पेनाल्टी का आदेश दिया। इसके विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को प्रस्तुत प्रथम अपील निर्णय दिनांक 27.09.2019 से खारिज की गई। अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विवादित भूमि पर उनका पिछले 30 वर्ष से कब्जा है, जिससे विवादित भूमि का नियमन किया जावे। प्रथम तो अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जो अपीलार्थी के लगातार पिछले 30 वर्ष के कब्जे को साबित करता हो। न ही अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। द्वितीय भूमि के आवंटन/नियमन हेतु अलग से प्रावधान निर्देश है जिनके अन्तर्गत विधि अनुसार अलग से कार्यवाही की जाती है। वर्तमान प्रकरण में 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत है, जिसमें अतिक्रमण कर लिये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है।

वर्तमान प्रकरण किसी आवंटन एवं नियमन के आदेश की अपील नहीं होकर अतिक्रमण बेदखली का होने से इसमें विचार कर निर्णय हेतु प्रस्तुत विषय अतिक्रमी की बेदखली का है। विचारणीय विषय अतिक्रमण नियमन नहीं होने से उस पर विचार कर निर्णय दिया जाना अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थी अपने कब्जे को विधि के प्रवर्तन में विधि के अनुसरण में स्थापित करने में विफल रहा है जिसका परिणाम बेदखली विधि में प्रावधानित है। इस बेदखली के कार्यवाही में नियमन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। आवंटन अथवा नियमन व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर सरकार का विवेकाधिकार है। व्यक्ति आवेदन पत्र आमंत्रित होने पर ही आवेदन कर सकता है किन्तु स्वयं चयन कर अधिकार स्वरूप किसी भूखण्ड विशेष के आवंटन या नियमन का कथन अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है।

जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की तहसीलदार द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलीय न्यायालयों समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेशों में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है।

विवादित भूमि राजकीय बिलानाम भूमि होकर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण होने पर अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि अनुसार कार्यवाही कर बेदखली का आदेश पारित किया है। साथ ही हमारी सुविचारित

राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर